# न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–24/2022

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 मेघाराम 2 भींयाराम पिसरान राउराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर। | बनाम | 1 राऊराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी, हाथीतला 2 नोजी पुत्री राऊराम पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी भुरटिया 3 नत्थी पुत्री राऊराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी 4 मगी पुत्र राऊराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी 5 अचली पुत्री राऊराम पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री खेताराम बेनिवाल, वकील वादी पक्ष।
2. श्री महेश गिरी गोस्वामी, वकील प्रतिवादी पक्ष।

## निर्णय

दिनांक 19.05.2022

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के सदस्य है तथा अर्जुनराम के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जान्दुओं की नाडी पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 527 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 602 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 603 रकबा 83.08 बीघा व खसरा संख्या 697/624 रकबा 152.02 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि अर्जुनराम के फौतगी पर प्रतिवादी संख्या 01 राऊराम के हिस्से में दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05, प्रतिवादी संख्या 01 राऊराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारा अधिनियम की धारा 06 के अनुसार जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील वादी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी वास्ते संशोधन करने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण बंटवाड़ा नही करवाना चाहते है। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण हस्तगत प्रकरण में विभाजन नही करवाना चाहते है।

अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी वास्ते संशोधन करने वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण बंटवाड़ा नही करवाना बाबत् धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पत्र से पृथक की जाती है।

वकील वादी ने प्रार्थन पत्र वास्ते तलब करने पत्रावली प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है।

(मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर)

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 से 05 अर्जुनराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण का 1/7–1/7 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के अतिरिक्त जायन्दा पुत्र–पुत्र नही है।

वादी संख्या 01 मेघाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, नकल बन्दोबस्त तथा नामान्तकरण की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 है। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को प्रतिवादी संख्या 01 राऊराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी संतव 2072 से 2075, प्रदर्श–01 व नक्शा प्रदर्श–02 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की नाडी पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 527 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 602 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 603 रकबा 83.08 बीघा व खसरा संख्या 697/624 रकबा 152.02 बीघा भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को प्रतिवादी संख्या 01 राऊराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर